न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 38/2012

श्री किशना पुत्र श्री धन्ना जी रावत जाति रावत निवासी ग्राम कुशलपुरा ग्राम पंचायत बेगलियावास तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––वादी

ब ना म

1– श्री सुवा पुत्र कल्ला जी रावत

2– श्री मोती पुत्र कल्ला जी रावत ––मृतक–––– दोनो जाति रावत निवासीगण ग्राम कुशलपुरा ग्राम पंचायत बेगलियावास तहसील मसूदा जिला–अजमेर हाल निवासी ग्राम केलू ग्राम पंचायत देवमाली तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

3– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 27.10.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा कुशलपुरा पटवार क्षैत्र बेगलियावास भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मसूदा जिला–अजमेर में खाता संख्या 75 खसरा नंबर 826 रकबा 01–18–10 किस्म बारानी–1, 827 रकबा 01–15–00 किस्म बारानी–1, 828 रकबा 01–11–00 किस्म बारानी–1 कुल रकबा 05–04–10 में से 1/5 हिस्सा अर्थात रकबा 01–00–18 भूमि के विषय में वाद प्रस्तुत किया है। उक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे जिन्होने वादी को दिनांक 03.07.1978 को बेचान कर दिया और कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कब्जे बाबत कोई विवाद नही रहा है। बेचान होने के बाद वादी ने सोचा की वर्णित भूमि उसकी की हो गई एंव उसकी अज्ञानतावश उसने रेकार्ड में अपने हक में नामान्तकरण नही करवाया। वादी का वादग्रस्त भूमि के खरीद से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, इसके बावजूद प्रतिवादीगण दिनांक 28.02.2012 को वादी को भूमियां राजस्व रेकार्ड में खातेदार अंकन करवाने से इन्कार कर दिया और वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिये जाने के कारण वादी को वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई अतः वाद निवेदन है, कि वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में कोई लेना देना नही है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी पैदा नही करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सम्मन तामील के प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 9.5.2014 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को ही साक्ष्य में पढा जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर बहस अंतिम सुनी गई।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 03.07.1978 के द्धारा सुवा, मोती पिसरान कल्ला द्धारा विवादित भूमि में निहित अपना हक हिस्सा वादी को बेचान किया जाना पाया गया। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में सुवा, मोती पिसरान कल्ला अन्य

.....लगातार

खातेदारान के साथ विवादित भूमियो में खातेदार दर्ज होना पाया गया। इस प्रकार सुवा व मोती पिसरान कल्ला द्वारा विवादित भूमियो में निहित अपना हक हिस्सा वादी को बेचान किया जा चुका है, तथा कब्जा भी वादी को सुपुर्द जरिये बेचान सुपुर्द कर दिया और वाद का प्रतिवादीगण ने कोई प्रतिवाद भी नही किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर कुशलपुरा पटवार क्षैत्र बेगलियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मसूदा जिला–अजमेर में खाता संख्या 75 खसरा नंबर 826 रकबा 01–18–10 किस्म बारानी–1, 827 रकबा 01–15–00 किस्म बारानी–1, 828 रकबा 01–11–00 किस्म बारानी–1 कुल रकबा 05–04–10 भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार, मसूदा को आदेश दिये जाते है, कि यथानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादी के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:36:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: